

**कार्यालय : प्राचार्यराजेन्द्रसिंहरावतराजकीयमहाविद्यालयबड़कोट(उत्तरकाशी)**

Telephone 01375-224428; email: principalgdcbkt@gmail.com

छात्र संघ निर्वाचन सत्र 2022-2023

विज्ञप्ति संख्या- 01

दिनांक -17/12/2022

महाविद्यालय छात्रसंघ 2022-23 के निर्वाचन तथा कार्यकारिणी के गठन हेतु निम्नलिखित प्रारूप निर्धारित किया जाता है।

(I) (अ) छात्र संघ गठन हेतु निम्नलिखित पदों पर निर्वाचन होना है।


**पदों का विवरण एवं संख्या**


क्रम संख्या	पद नाम	पदों की संख्या	अभियुक्ति
1.	विश्वविद्यालय प्रतिनिधि (SDSUV)	एक पद	(श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से सम्बद्ध छात्र/छात्राएं ही प्रतिभाग करेंगे)
2.	अध्यक्ष	एक पद	
3.	उपाध्यक्ष	एक पद	
4.	महासचिव	एक पद	
5.	सह सचिव	एक पद	
6.	कोषाध्यक्ष	एक पद (छात्राओं हेतु आरक्षित)	

(ब) कार्यकारिणी सदस्य-छह पद (जिनके लिए मतदान नहीं होना है बल्कि निर्वाचन के पश्चात मनोनयन किया जाना है) छात्र संघ का निर्वाचन गोपनीय मतदान द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से किया जाएगा, निर्वाचन कार्यक्रम निम्नवत होगा।

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनांक एवं समय
1	अधिसूचना जारी करनी की तिथि	17 दिसम्बर 2022 शनिवार अपराह्न 03:00 बजे
2	नामांकन प्रपत्रों की बिक्री	19 दिसम्बर 2022 सोमवार प्रातः 11 बजे से 3:00 बजे तक
3	नामांकन	20 दिसम्बर 2022 मंगलवार प्रातः 11 बजे से 3:00 बजे तक
4	नाम वापसी	21 दिसम्बर 2022 बुधवार प्रातः 11 बजे से 1:00 बजे तक
5	नामांकन पत्रों की जांच	21 दिसम्बर 2022 बुधवार अपराह्न: 1 बजे से 4:00 बजे तक
6	वैध सूची का प्रकाशन	21 दिसम्बर 2022 बुधवार अपराह्न 4:30 बजे तक
8	वैध प्रत्याशियों के साथ चुनाव समिति एवं पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधि की बैठक	22 दिसम्बर 2022 वृहस्पतिवार अपराह्न 12:00 बजे से 1:00 बजे तक
9	आमसभा	22 दिसम्बर 2022 वृहस्पतिवार अपराह्न 1:00 बजे से 2:00 तक
10	मतदान	24 दिसम्बर 2022 शनिवार प्रातः 8 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक
11	मतगणना	24 दिसम्बर 2022 शनिवार अपराह्न 02:00 बजे
12	शपथ ग्रहण	24 दिसम्बर 2022 शनिवार को परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद

निर्वाचन नियमावली की विज्ञप्ति पृथक से जारी की जायेगी।

  
17/12/2022  
प्राचार्य  
प्राचार्य  
राजेन्द्र सिंह रावत  
राजकीय महाविद्यालय  
बड़कोट (उत्तरकाशी)

  
डी0पी0गैरीला  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी/छात्रसंघ प्रभारी  
निर्वाचन अधिकारी  
राजकीय महाविद्यालय  
(उत्तरकाशी)

**कार्यालय : प्राचार्यराजेन्द्रसिंहरावतराजकीयमहाविद्यालयबड़कोट(उत्तरकाशी)**

**Telephone 01375-224428; email: principalgdcbkt@gmail.com**

**छात्र संघ निर्वाचन सत्र 2022-2023**

**विज्ञप्ति संख्या - 2**

**निर्वाचन नियमावली**

**दिनांक : 17 दिसम्बर 2022**

(लिंगदोह समिति की सिफारिशों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों व शासनादेश

सं. 1336 / xxiv (4) /2019-25 (11)/2017 दिनांक 05 दिसम्बर, 2022 एवं श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय द्वारा जारी कार्यालय पत्रांक संख्या 88/ छात्रसंघ चुनाव 2022-23 दिनांक 15/12/2022 के निर्देशों के अनुसार)

1. प्रत्येक प्रत्याशी को अपना नामांकन करवाने के समय विगत वर्ष की मूल अंक तालिका एवं हाईस्कूल प्रमाण पत्र महाविद्यालय के संस्थागत छात्र छात्राओं में से एक प्रस्तावक एवं एक अनुमोदक प्रस्तुत करना होगा। नामांकन के समय प्रत्येक प्रत्याशी को एक अपराधमुक्त पृष्ठभूमि का शपथ पत्र (Affidavit) तथा सम्बन्धित विषयों के विभागाध्यक्षों से 75 प्रतिशत उपस्थिति का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना पड़ेगा।
2. नामांकन शुल्क 1000.00/- (रु. एक हजार मात्र) होगा। नामांकन पत्रों की बिक्री की प्रक्रिया 19/12/2022 को प्रातः 11 बजे से 3 बजे के मध्य होगी। प्रत्याशी छात्र संघ निर्वाचन कार्यालय से निर्धारित मूल्य जमाकर उक्त नामांकन प्रपत्र एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र लेना सुनिश्चित करें।
3. प्रत्येक संस्थागत छात्र/छात्रा समस्त पदों हेतु मतदाता होंगे। मत देने के लिए संस्थागत छात्र-छात्रा का परिचय पत्र (वर्तमान सत्र का) अति आवश्यक होगा।
4. निर्वाचन गोपनीय मतदान द्वारा प्रत्यक्ष प्रणाली से संपन्न कराया जाएगा।
5. अग्रलिखित पदों- अध्यक्ष -01, उपाध्यक्ष-01, महासचिव- 01, सह-सचिव- 01. कोषाध्यक्ष-01(छात्राओं हेतु आरक्षित), विश्वविद्यालय प्रतिनिधि -01. के लिए निर्वाचन होगा, कार्यकारिणी सदस्य के 6 पद महाविद्यालय द्वारा नामित किये जायेंगे। समस्त पदों के लिए महाविद्यालय का कोई भी छात्र - छात्रा जिसकी उम्र 1 जुलाई, 2022 ' को 17-22 वर्ष के बीच में हो चुनाव लड़ सकता है/सकती है अर्थात उसका जन्म 1/07/2000 से 1/7/2005 के मध्य हुआ हो। निकाय पदों के लिए कोई छात्र-छात्रा सिर्फ एक बार चुनाव लड़ सकता / सकती है।
6. विश्वविद्यालय प्रतिनिधि (श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से सम्बद्ध) मिलकर विश्वविद्यालय स्तर पर अपेक्स बॉडी (Apex Body) का गठन करेंगे।
7. यदि किसी पद हेतु प्रत्याशी का चयन सर्वसम्मति से निर्विरोध हो जाता है तो वह पद मतदान प्रक्रिया में नहीं होगा और उसे मतदान से पूर्व ही विजयी घोषित कर दिया जाएगा।
8. सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान महाविद्यालय परिसर में संस्थागत छात्र छात्राओं को अपना परिचय पत्र अपने पास रखना होगा और वाह्य व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित होगा
9. छात्र संघ में एक विद्यार्थी एक ही पद धारण करेगा।
10. छात्र संघ का कार्यकाल सत्रांत 30 जून 2023 को स्वतः समाप्त हो जाएगा।

*OA*

11. महाविद्यालय परिसर में दीवारों पर न तो कोई पोस्टर चस्पा किया जाएगा न ही कोई प्रचार सन्देश दीवारों पर लिखा जाएगा बाहर भी किसी प्रत्याशी द्वारा दीवारों/अथवा संपत्ति पर पोस्टर या प्रचार सन्देश नहीं लिखा जाएगा। यदि किसी प्रत्याशी / समर्थक के द्वारा पोस्टर सन्देश दीवारों पर लगाया एवं लिखा गया है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी प्रत्याशी की होगी तथा जांच के उपरान्त ऐसे प्रत्याशी का नामांकन / निर्वाचन निरस्त कर दिया जाएगा।
12. प्रचार हेतु मात्र हस्तलिखित/ हस्तनिर्मित (Hand made) पोस्टर का ही उपयोग किया जा सकता है। प्रचार में परिसर के अन्दर या बाहर किसी भी प्रकार के ध्वनी विस्तारक यंत्र, किसी भी गाड़ी/जानवर आदि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।
13. महाविद्यालय के अन्दर अथवा बाहर किसी भी प्रकार के जुलूस (Procession) की अनुमति नहीं होगी।
14. चुनाव में खर्च की अधिकतम सीमा रुपये 25000/- (पच्चीस हजार रुपये) मात्र होगी। प्रत्येक प्रत्याशी को छात्र संघ निर्वाचन परिणाम घोषित होने के दो सप्ताह के अन्दर अपने खर्च का पूर्ण और ऑडिट किया हुआ विवरण देना होगा जिसको महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया जाएगा।
15. खर्च की अधिकतम सीमा (रू0 25000/-)(पच्चीस हजार रुपये) से अधिक खर्च किये जाना प्रमाणित होने पर सम्बंधित निर्वाचित व्यक्ति का निर्वाचन रद्द हो जाएगा।
16. चुनाव की अधिसूचना के पश्चात महाविद्यालय में किसी भी वाह्य व्यक्ति, राजनितिक दल, संगठन आदि का प्रवेश वर्जित होगा। ऐसा पाए जाने पर सम्बंधित प्रत्याशी का नामांकन/ निर्वाचन रद्द हो जाएगा।
17. प्रत्याशी का किसी अन्य श्रोतों से धन लेने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध होगा। प्रत्याशी का किसी अन्य श्रोतों से धन लेने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध होगा, वह छात्रों से मिलने वाले स्वैच्छिक चन्दे को ही स्वीकार कर सकते हैं।
18. कोई भी प्रत्याशी किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत आरोप या प्रत्यारोप एक दूसरे पर नहीं लगायेंगे और न ही किसी प्रकार का ऐसा आचरण या व्यवहार प्रस्तुत करेंगे, जो परस्पर घृणा, अथवा धार्मिक, जातीय, सामुदायिक, क्षेत्रीय, भाषायिक या किसी अन्य प्रकार के वैमनस्यता का माहौल पैदा करता हो।
19. आलोचना सिर्फ नीतियों और कार्यों पर आधारित होगी।
20. उपर्युक्त नियमों (लिंगदोह समिति की सिफारिशों / माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों) के अनुरूप कार्य न करने पर विधि के अनुसार कार्यवाही होगी। भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860 (Section 153-A और अध्याय IX) के चुनाव से सम्बंधित भाग, छात्र संघ चुनाव में भी लागू होंगे।
21. छात्र संघ चुनाव में होने वाले किसी भी विवाद का निपटारा मूल रूप से महाविद्यालय स्तर पर गठित परिवाद निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Committee) करेगी अपीलिय क्षेत्राधिकार संस्था के प्रमुख (प्राचार्य) के पास होगा।

४

22. प्रत्येक प्रत्याशी को बूथ पर अपना एक मतदान अभिकर्ता (Polling Agent) एवं एक मतगणना अभिकर्ता Agent) नियुक्त करने का अधिकार होगा नियुक्ति हेतु प्रपत्र निर्वाचन अधिकारी से दिनांक 22 दिसम्बर 2022 को आमसभा के उपरान्त प्राप्त किया जा सकता है।
23. मतदान के दिन महाविद्यालय परिसर में किसी प्रकार का चुनाव अभियान नहीं किया जाएगा। मतदान कक्ष में कोई भी छात्र-छात्रा किसी प्रत्याशी का बैज आदि लगाकर प्रवेश नहीं करेगा।
24. जिन छात्र/ छात्राओं के पास परिचय पत्र नहीं होगा वे मतदान की तिथि से एक दिन पूर्व (दिनांक 23/12/2022) शुक्रवार अपराह्न 3:00 बजे तक अपना परिचय पत्र अवश्य बनवा लें। मतदान के दिन किसी भी परिस्थिति में परिचय पत्र नहीं बनाया जाएगा न ही वितरित किया जाएगा।
25. जिस प्रत्याशी को मत देना उसके नाम के आगे मत पत्र पर मतदान अधिकारी द्वारा निर्गत सुभिन्नक चिन्ह अथवा काँस सील ( ) लगानी होगी। अन्य प्रकार के चिन्हों को लगाने अथवा नाम लिखने पर मतपत्र अवैध माना जायेगा।
26. एक पद के लिए एक से अधिक प्रत्याशियों को मत देने पर अवैध माना जाएगा। कार्यकारिणी के यह (06) सदस्य महाविद्यालय द्वारा नामित होंगे।
27. मतदान दिनांक 24 दिसम्बर, 2022 (शनिवार) को प्रातः 8.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक होगा और उसके पश्चात अपराह्न 2.00 बजे से मतगणना का कार्य प्रारम्भ होगा।
28. मतगणना कार्य पूर्ण होने पर परिणाम घोषित कर दिये जायेंगे।
29. मतगणना के पश्चात बराबर मत पड़ने की स्थिति में दोनों ही प्रत्याशियों को उक्त पद के लिए निर्वाचित घोषित किया जायेगा जिनका कार्यकाल आधा आधा होगा। प्रथम कार्यकाल का निर्धारण प्रत्याशी के नाम के वर्णानुक्रम के अनुसार होगा।
30. परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के अन्दर प्राचार्य द्वारा विजयी प्रत्याशियों को पद एवं गरिमा की शपथ दिलवाई जायेगी।
31. प्रत्याशियों के गत वर्ष की परीक्षा में कोई अवरोध नहीं होना चाहिए तथा क्रेडिट पूर्ण होना चाहिए. यदि किसी प्रत्याशी का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं है तो उसे इस आशय का शपथ पत्र नामांकन करते समय प्रस्तुत करना होगा कि क्रेडिट पूर्ण ना होने की दशा में उसका नामांकन एवं चुनाव परिणाम स्वयं ही निरस्त माना जाएगा।

17/12/2022  
प्राचार्य  
राजेन्द्र सिंह रावत  
राजकीय महाविद्यालय  
बडकोट (उत्तरकाशी)

17/12/22  
(डी0पी0गेरोला)  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी/छात्रसंघ प्रभारी  
निर्वाचन अधिकारी  
राजकीय महाविद्यालय  
बडकोट (उत्तरकाशी)

**कार्यालय : प्राचार्यराजेंद्रसिंहरावतराजकीयमहाविद्यालयबड़कोट(उत्तरकाशी)**

Telephone 01375-224428; email: principalgdebkt@gmail.com

छात्र संघ निर्वाचन सत्र 2022-2023

ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी का गठन

(Constitution of Grievance Redressal Committee)

विज्ञप्ति-03


दिनांक : 15/12/2022

सत्र 2022-2023 में सम्पन्न होने वाले छात्र-संघ निर्वाचन हेतु लिंगदोह समिति के सिफारिशों के अनुपालन में ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी (परिवाद निवारण प्रकोष्ठ) का गठन किया गया है। निम्नलिखित प्राध्यापक / छात्र-छात्रा इस समिति के सदस्य के रूप में नामित किए जाते हैं। छात्र संघ निर्वाचन से सम्बंधित किसी शिकायत को समिति के समक्ष लिखित रूप में देना होगा।

सदस्य, परिवाद निवारण प्रकोष्ठ (GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEE)

1. डॉ. अंजू भट्ट, मुख्य अनुशासक
2. डॉ. जगदीश चन्द्र रस्तोगी, अधिष्ठाता छात्र कल्याण (अध्यक्ष)
3. डॉ. बी एल थपलियाल , प्रॉक्टर साइंस (सदस्य)
4. श्री संगीता रावत प्रॉक्टर कला (सदस्य)
5. श्री विनय शर्मा सदस्य
6. कु. आंचल डिमरी, बी. एस. सी. III ( सर्वोच्च अंक प्राप्त )
7. कु. नीकिता, बी. ए. II ( सर्वोच्च अंक प्राप्त )

समिति के अध्यक्ष/सदस्यगण लिंगदोह समिति के निर्देशों के अनुरूप अपना कार्य / दायित्व संपादित करना सुनिश्चित करें।



(डॉ. विनोद कुमार)

प्रभुचन्द्र

राजकीय महाविद्यालय, बड़कोट  
ब (उत्तरकाशी)

**कार्यालय : प्राचार्यराजेंद्रसिंहरावतराजकीयमहाविद्यालयबड़कोट(उत्तरकाशी)**

Telephone 01375-224428; email: principalgdcbkt@gmail.com

छात्र संघ निर्वाचन सत्र 2022-2023

दिनांक - 17/12/2022

**इच्छुक प्रत्याशियों हेतु आवश्यक सूचना**

सूच्य है कि जो भी संस्थागत विद्यार्थी छात्र संघ चुनाव: 2022-2023 में किसी भी पद के लिये अपना नामांकन प्रस्तुत करना चाहते हैं, उन्हें नामांकन हेतु नामांकन समिति के समक्ष निम्न प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे।

1. ₹0 1000=00 (₹0 मात्र ) की नामांकन शुल्क रसीद।
2. हाईस्कूल सर्टिफिकेट (मूल प्रमाण पत्र के साथ एक प्रमाणित प्रति )। (जन्म तिथि परिक्षण हेतु )
3. इस कक्षा (जिस कक्षा में संस्थागत विद्यार्थी है) के पूर्व की कक्षा का अंकपत्र।
4. संस्थागत विद्यार्थी होने का परिचय पत्र एवं शुल्क रशीद
5. दो संस्थागत विद्यार्थी ( परिचय - पत्र सहित ) कमशः प्रस्तावक एवं अनुमोदक के रूप में।
6. सम्बन्धित विषय में 75% उपस्थिति का विषय प्राध्यापक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र।
7. आपराधिक पृष्ठभूमि के न होने का शपथ पत्र (10 ₹0 के स्टैम्प पेपर पर )।
8. गत वर्ष की परीक्षा में निर्धारित क्रेडिट पूर्ण ना होने की दशा में नामांकन रद्द एवं चुनाव परिणाम निरस्तकरने सम्बन्धी शपथ पत्र।

(डी0पी0 गैरोला)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
राजकीय महाविद्यालय  
बड़कोट (उत्तरकाशी)  
(उत्तरकाशी)

**कार्यालय : प्राचार्यराजेन्द्रसिंहरावतराजकीयमहाविद्यालयबड़कोट(उत्तरकाशी)**

**Telephone 01375-224428; email: principalgdcbkt@gmail.com**


**छात्र संघ निर्वाचन सत्र 2022-2023**

**दिनांक – 17/12/2022**

### **नामांकन हेतु आवश्यक निर्देश**

सूच्य है कि जो भी संस्थागत विद्यार्थी छात्र संघ चुनाव में किसी भी पद के लिये अपना नामांकन प्रस्तुत करना चाहते हैं, उन्हें नामांकन समिति के समक्ष निम्न प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे।

1. रू0 1000=00 (रू० मात्र) की नामांकन शुल्क रसीद ।
2. हाईस्कूल सर्टिफिकेट (मूल प्रमाण पत्र के साथ एक स्वप्रमाणित प्रति)।
3. इस कक्षा (जिस कक्षा में संस्थागत विद्यार्थी है) के पूर्व की कक्षा का अंकपत्र
4. संस्थागत विद्यार्थी होने पर परिचय पत्र ।
5. दो संस्थागत विद्यार्थी (परिचय-पत्र एवं शुल्क रसीद सहित) कमशः प्रस्तावक एवं अनुमोदक के रूप में।
6. सम्बन्धित विषय में 75% उपस्थिति का प्रमाण पत्र ।
7. आपराधिक पृष्ठभूमि एवं अकादमिक अवशेष (Academic Arear) के न होने का शपथ पत्र (10 रू0 के स्टैम्प पेपर परनोटरी द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा)।

  
(डी0पी0 गैरोला)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
निर्वाचन अधिकारी  
राजकीय महाविद्यालय  
बड़कोट (उत्तरकाशी)